सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–837

20–7–2010

आयोग ने की बी0 पी0 एल0 होने का दावा खारिज

पटना, 20 जुलाई :: :राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री अशोक कुमार चौधरी ने आवेदक श्री सुषमाकर साह, बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव, इटावा, बेगूसराय के मामले में जाँच प्रतिवेदन के उपरांत अहम फैसला सुनाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आवेदक सुषमाकर साह ने अपने को बी0 पी0 एल0 सूची का उम्मीदवार बताकर भारी भरकम सूचना की प्राप्ति वगैर शुल्क दिए करना चाहते थे। इस मामले की तहकीकात के दरमियान सही रिपोर्ट प्राप्ति के लिए मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की। जाँच प्रतिवेदन में तथ्य चौकानेवाले थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 1508 दि0 8. 6. 10 के अनुसार आवेदक के पास पक्का मकान, आटा चक्की, जेनरेटर मशीन एवं मोटर साइकिल सहित 10 कट्ठा जमीन भी हैं, जिसकी कीमत ढ़ाई लाख रू0 है।

ज्ञातव्य है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने उपयर्युक्त तथ्यों की जानकारी के उपरांत इस मामले का निष्पादन करते हुए आवेदक को 10 दिनों के अंदर शुल्क जमा कर सूचना प्राप्ति का फैसला दिया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन की कॉपी भी आवेदक को भेज दी गयी है।

———————